न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO), मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : मनसुख राम डामोर, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : **30/11 (वाद)**

GCMS No. : 2011/00180

1. श्री नाथूसिंह पिता सवसिंह राजपूत निवासी वांगरोदा तह. मावली।

............वादी

बनाम्

1. श्रीमती सोहनकुंवर पुत्री सवसिंह पत्नी हरिसिंह राजपूत निवासी घणोली तह. मावली।
2. श्री केसरसिंह पिता इन्द्रसिंह राजपूत निवासी जगपुरा तह. कोटडी जिला भीलवाडा।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार/उप पंजीयक मावली तह. मावली।
4. पटवारी, पटवार हल्का भीमल तह. मावली।

...............प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री सम्पत सामोता, अधिवक्ता वादी।

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक : 25.07.2024

1. वादी द्वारा वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा वांगरोदा पटवार हल्का भीमल के परिशिष्ट क में वर्णित आराजी नम्बर आराजी नम्बर 560 रकबा 23 बिघा 12 विश्वा स्थित होकर वर्तमान राजस्व रेकर्ड में नाथू सिंह, सोहन कुंवर पिता सव सिंह एजनकूंवर बेवा सव सिंह 9/118 हिस्से से अंकित हे ओर शेष हिस्सा अन्य सहखातेदारो के नाम पर अंकित है। परिशिष्ट ख में वर्णित आराजी नं0 1002 रकबा 28 बिघा 4 विश्वा स्थित होकर वर्तमान राजस्व रेकर्ड में नाथू सिंह, सोहन कुंवर पिता सव सिंह एजनकूंवर बेवा सव सिंह 1/2 हिस्से से अंकित हे ओर शेषहिस्सा अन्य सहखातेदारो के नाम पर अंकित है। परिशिष्ट ग में वर्णित आराजी नम्बर 531, 532, 533, 534, 535, 558, 559, 561, 562, 563, किता–10 रकबा 18 बिघा 11 विश्वा स्थित होकर वर्तमान राजस्व रेकर्ड में नाथू सिंह, सोहन कुंवर पिता सव सिंह एजनकूंवर बेवा सव सिंह 1/2 हिस्से से अंकित हे और शेष हिस्सा अन्य सहखातेदारो के नाम पर अंकित है। परिशिष्ट घ में वर्णित आराजी आराजी नम्बर [illegible] रकबा 8 बिघा 15 विश्वा स्थित होकर वर्तमान राजस्व रेकर्ड में नाथू सिंह, सोहन कुंवर पिता सव सिंह एजनकुंवर बेवा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mansukh Ram Damor
Date: 2024.07.31 18:54:48 IST
Reason: SelfAttested

सव सिंह 1/2 हिस्से से अंकित हे ओर शेषहिस्सा अन्य सहखातेदारो के नाम पर अंकित है। परिशिष्ट च में वर्णित आराजी नम्बर 1015,1016,1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023,1037, किता 10 रकबा 16 बिघा 15 विश्वा स्थित होकर वर्तमान राजस्व रेकर्ड में नाथू सिंह, सोहन कुंवर पिता सव सिंह एजनकूंवर बेवा सव सिंह 1/2 हिस्से से अंकित हे ओर शेषहिस्सा अन्य सहखातेदारो के नाम पर अंकित है। परिशिष्ट छ में वर्णित आराजी नम्बर 1024 रकबा 8 विश्वा स्थित होकर वर्तमान राजस्व रेकर्ड में नाथू सिंह, सोहन कुंवर पिता सव सिंह एजनकंवर बेवा सव सिंह 3/16 हिस्से से अंकित हे ओर शेषहिस्सा अन्य सहखातेदारो के नाम पर अंकित है। परिशिष्ट ज में वर्णित आराजी नम्बर 940–941 किता–2 रकबा 11 बिघा एक विश्वा स्थित होकर वर्तमान राजस्व रेकर्ड में नाथू सिंह, सोहन कुंवर पिता सव सिंह एजनकंवर बेवा सव सिंह 1/2 हिस्से से अंकित हे ओर शेषहिस्सा अन्य सहखातेदारो के नाम पर अंकित है।

2. कि उक्त वाद पत्र की कलम नम्बर एक में वर्णित आराजीयात वादी एवं प्रतिवादी स० 1.2. की सयुंक्त हिन्दु परिवार की अविभाजित पेत्रिक सम्पति है जो वादी के पिता के वक्त से चली आ रही है। वादी के खानदान का सजरा इस प्रकार है –

सवसिंह

नाथूसिंह, पुत्री सोहनकुंवर, पुत्री भंवरकुंवर, पुत्री एजनकुंवर, पत्नी

उक्त सजरे के अनुसार श्री सव सिंह पिता वाग सिंह जी राजपुत थे जिनका निधन करीब वर्ष हुए हो चुका है जिनके विधिक वारिशान के रूप में एक पुत्र वादी नाथू सिंह एउवं दो पुत्रीयां सोहन कुंवर प्रतिवादी स० एक, एवं भंवर कुंवर तथा पत्नी एजन कुंवर है। इनके अलावा अन्य कोई वारिशान नही है।

3. कि उक्त वाद पत्र की कलम नम्बर एक में वर्णित आराजीयात परिशिट क में सव सिंह जी का 9/118 ख, ग, घ च, में 1/2, छ में 3/16 ज में 1/2 हिस्सा हक अधिकार था ओर शेष हिस्सा अन्य सहखातेदारो का है। श्री सवसिंह जी मुझ वादी के पिता थे जिनका निधन होने के बाद उनकी कुलीया भूमी उनके वारिशान में यानि वादी एवं प्रतिवादी स० 1, 2 एवं भंवर कुंवर में हिस्सा बराबर से यानि 1/4, 1/4 हक हि[illegible]हित हुई ओर इसी अनुसार स्वामी अधिकारी एवं आधिपत्यधारी हुए ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mansukh Ram Daima
Date: 2024.07.31 18:54:48 IST
Reason: SelfAttested

4. कि मुझ वादी के पिता सव सिंह जी ने उनकी बेटीयां प्रतिवादी स० एक एवं भंवर कुंवर कंवर की उनके जीवनकाल मे ही शादीयां करा दी तब से वे अपने अपने ससुराल में आबाद होकर उनके ससुराल की सम्पति पर काबीज है तथा सव सिंह जी की सम्पति में उनके निधन पश्चात जो हिस्सा हक निहित उनके वारिशान मे निहित हुआ वो कुलीया हक हिस्सा सव सिंह जी की कुलीया चल व अचल सम्पति में प्रतिवादी स० एक एवं भंवर कुंवर ने वादी के पक्ष में रजिस्टर्ड हक उत्याग पत्र दिनांक 25–9–01 को उत्यागित कर दिया तब से प्रतिवादी स० एक एवं भंवर कुंवर का विवादित भूमी में किसी प्रकार का कोई हक अधिकार एवं आधिपत्य नही है। इसप्रकार सव सिंह जी की भूमी में वादी का 3/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी स० दो का 1/4 हिस्सा हक अधिकार है।
5. कि वाद पत्र की कलम नम्बर एक में वर्णित भूमी एवं अन्दर हल्का आबादी की भूमी में प्रतिवादी स० एक एवं भंवरकुंवर द्वारा हक हिस्सा उत्यागित करने के बाद वादी उक्त हक उत्याग पत्र को लेकर पटवारी हल्का के पास गया तो पटवारी हल्का ने जरिये नामान्तकरण स० 524 से वादी की बहिन भंवर कुंवर के हक हिस्से की जमीन तो वादी के नाम अंकित कर दी लेकिन प्रतिवादी स० एक के नाम अंकित हक हिस्से की जमीन वादी के नाम अंकित नहीं की ओर नामान्तकरण में यह नोट लगा दिया कि विधवा हक त्याग नही कर सकती है जब कि पटवारी हल्का को इस प्रकार का अंकन लगाने का कोई अधिकार नही है।
6. कि अभी दिनांक 1–2–11 को वादी पटवारी हल्का के पास खाते की नकल लेने के लिए गया तो पटवारी हल्का ने बताया कि सोहन कुंवर का नाम तो खाते में अंकित है जिस पर नामान्तकरण की नकल ली तो पता चला कि पटवारी हल्का ने कलम नम्बर 5 में वर्णित नोट लगाकर प्रतिवादी सोहन कुंवर के हिस्से की भूमी वादी के नाम पर अंकित नही की है जब कि प्रतिवादी स० एक का वादग्रस्त भूमी में किसी प्रकार का कोई हक अधिकार एवं आधिपत्य नही है। चूंकि वादी की बहिन भंवर कुंवर ने अपना हक हिस्सा वादी के पक्ष में उत्यागित कर दिया ओर भंवर कुंवर का हिस्सा वादी के नाम अंकित हो चुका हे जिस कारण से भंवरकुंवर को इस वाद मे पक्षकार मुकरमा नही बनाया गया है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mansukh Ram Damor
Date: 2024.07.31 13:54:48 IST
Reason: SelfAttested

7. कि प्रतिवादी स० एक वादी से कुछ समय से नाराज है ओर उसने मुझ वादी को नाजायज नुकसान पहुंचाने एवं स्वंय द्वारा नाजायज लाभ अर्जित करने की नीयत से वादग्रस्त भूमी में बिना किसी हक अधिकार के वादग्रस्त परिशिष्ट ख की भूमी मे से 2 बिघा भूमी दिनांक 21–1–11 को जरिये विकय पत्र से प्रतिवादी स० एक ने प्रतिवादी स० 2 को विक्रय कर दी जिसका ज्ञान मुझ वादी को होते ही मुझ वादी ने प्रतिवादी स० एक को भूमी विकय करने से मना किया तो प्रतिवादी स० एक, दो ने मुझ वादी को धमकी दी कि वादग्रस्त जमीन में मेरा नाम अंकित हे ओर इस लिए मैं सारी जमीन बेच दूगीं ओर जमीन ऐसे लोगो को बेच दूगीं जो जबरन शरीर के बज पर तुम्हे बेदखल कर देगें । यदि प्रतिवादी स० एक, दो ने यदि ऐसा कर दिया तो मुझ वादी के हक व अधिकारों पर बुरा प्रभाव पडेगा तथा मुझ वादी को इतनी अशोधनीय हानी होगी जिसका एवजाना नकदी में किसी भी सुंरत मे नही आंका जा सकेगा। जब कि वादग्रस्त भूमी का कानूनी रूप से कोई विभाजन नही हुआ है तथा भूमी सयुंक्त स्वामित्व स्वामित्व सयुक्त हक अधिकार एवं आधिपत्य में चली आ रही हे ओर बिना कानूनी रूप से विभाजन किये किसी भी व्ययित्क को भूमी विक्रय करने का कोई अधिकार नहीं है। फिर भी प्रतिवादी स० 2 प्रतिवादी स० एक द्वारा बहका दिये जाने से भूमी विकये पर आमादा हे जब कि उसे ऐसा करने का कोई अधिकार नही है।

8. कि प्रतिवादी स० एक का वादग्रस्त भूमी में किसी प्रकार का कोई हक अधिकार एवं आधिपत्य नही है फिर भी प्रतिवादी स० एक ने नुमाईशी विक्रय पत्र से बिना प्रतिफल लिये दिये बिना कब्जा प्राप्त किये जो विक्रय पत्र कानिश्पादन एवं पजियंन कराया जो विक्रय पत्र मुझ वादी के मुकाबले अवेध होकर शुन्य प्रभावी है तथा ऐसे विक्रय पत्र से प्रतिवादी स० 2 को किसी प्रकार का कोई हक हक अधिकार प्राप्त नही होता है।

9. कि वादग्रस्त भूमी में प्रतिवादी 1.2 का किसीप्रकार का कोई हक अधिकार एवं आधिपत्य नही होने के बावजूद प्रतिवादी स० एक, दो ने वादग्रस्त भूमी प्रतिवादी स० 3 के सहयोग से अन्य लोगो को हस्तान्तरित करने की धमकी दी है जिसो वादी को अपने हक व अधिकारो की रक्षा के वाद वास्ते घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश करना आवश्यक हो गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mansukh Ram Damor
Date: 2024.07.31 18:54:48 IST
Reason: SelfAttested

10. कि बिनाय वाद विरूध प्रतिवादीगण दिनांक सर्व प्रथम दिनांक 21–1–11 को प्रतिवादी स० एक द्वारा विकय पत्र का पर्जियन कराने से एवं अन्तिम बार दिनांक 1–2–11 को पेदा हुआ जब कि प्रतिवादीगण ने वादी के हक व अधिकारों को चुनोती देते हुए वादग्रस्त भूमी विक्रय कर दी एवं अन्य लोगो को हस्तान्तरित करने की धमकी दी तब से निरन्तर जारी है।

11. कि वादग्रस्त भूमी में सव सिंह जी के हिस्से की भूमी का ही विवाद है ओर शेष हिस्सेदारो के विरूध वादी कोई दाद नही चाहने से उन्हे पक्षकार मुकदमा नही बनाया गया है।

12. कि अतः निवेदन है कि वादी के पक्ष में विरूध प्रतिवादीगण निम्न आशय की डिकी प्रदान करायी जावे कि वाद पत्र की कलम नम्बर एक के परिशिष्ट ख, ग, घ, च, ज में वर्णित प्रतिवादी स० एक के बजाय वादी को 1/8 हिस्से का परिशिष्ट क की भूमी का 9/472 हिस्से का एवं परिशिष्ट छ में में वर्णित भूमी के 3/64 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जाकर तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अंकन करायया जावे । ख– कि प्रतिवादीगण को इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्ध कराया जावे कि वे उक्त वाद पत्र की कलम नम्बर 15 की उप कलम (क) में वर्णित हिस्से की भूमी प्रतिवादीगण अन्य लोगो को रहन बेह बक्षीश आदि तरिको से हस्तान्तरित नही करे, राजस्व रेकर्ड एवं मोके की यथावत सिथति बनाये रखे, प्रतिवादी स० 2 परिशिष्ट ख की भूमी के रकबा 2 बिघा भूमी को कथित विक्रय पत्र के आधार पार अन्य किसी भी व्यक्ति को रहन बेह बक्षीश आदि तरिको से हस्तान्तरित नही करे, राजस्व रेकर्ड में यथावत स्थिति बनाये रखे तथा प्रतिवादीगण जबरन कब्जा नही करे, वादी को उसके हक हिस्से अनुसार सयुंक्त रूप से कब्जा काश्त उपयोग उपभोग करने में किसी प्रकार की कोई बाधा पेदा नही करे। यह कार्य प्रतिवादीगण स्वंय अपने नोकर चाकर एजेन्ट आदि से भी नही करे न करावे ।

13. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1, 2 द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया कि मौजा वांगरोदा पटवारी हल्का भीमल तहसील मावली में स्थित परिशिष्ठ क, ख, ग, घ, च, छ, ज में वर्णित आराजीयात का होना स्वीकार है एवं वर्णित हिस्सानुसार जो वर्तमान में राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है [illegible] है। वर्णित सजरा खानदान सही होने से स्वीकार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mansukh Ram Damor
Date: 2024.07.31 18:54:48 IST
Reason: SelfAttested

14. वादपत्र की कलम संख्या एक में वर्णित भूमियों में से मुझ प्रतिवादी संख्या एक सोहन कुंवर के स्व० पिता सवसिंहजी के हिस्से की सम्पूर्ण हिस्सा भूमि मे उनके विधिक वारिसान अर्थात वादी एवं मे प्रतिवादी संख्या एक एवं मेरी माताजी एजनकुंवर व बहन भंवरकुंवर का बराबर हकनुसार हिस्सा है एवं मुझ प्रतिवादी संख्या एक से मेरे हिस्से की भूमि का हकत्याग पत्र वादी ने दबाव डालकर दिनाक 25—9—01 को अवश्य करवाया था परन्तु मुझ प्रतिवादी के विधवा होने से माननीय तहसीलदार साहब मावली ने यादी द्वारा उक्त हकत्याग पत्र को प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत उनके समक्ष प्रस्तुत करने पर उन्होने राज्य सरकार के परिपत्र कमांक 5 (16) राजस्थान 6/92/6 जयपुर दिनाक 4—5—2000 के अनुसार विधवा पुत्रीयों द्वारा हक त्याग नहीं कर सकने से मेरे हिस्से की भूमि का हक त्याग वादी के पक्ष में हकत्याग किया हुआ नहीं माना और नामान्तरणकरण संख्या 524 में अंकन कर दिया जिससे वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में मुझ प्रतिवादी संख्या एक के हिस्से की भूमि मेरे नाम पर ही अंकित है और में अपने हिस्से की भूमि पर अपने पिताजी के जीवनकाल से ही काबिज हो मेरे ही उपयोग उपभोग में है जिसमे वादी का कोई हक हिस्सा व अधिकार नहीं है इसलिए वादी उक्त मेरे हिस्से की भूमि में से कोई भी हिस्सा भूमि अपने नाम पर मेरी जीवित अवस्था में अंकन करवाने के अधिकारी नहीं है।

15. कि मुझ प्रतिवादी संख्या एक के हिस्से की भूमि का जो हकत्यागपत्र वादी द्वारा मेरे पर सामाजिक दबाव डालकर जबरन अपने पक्ष में करवाया था उसे माननीय तहसीलदार साहब ने राज्यसरकार के आदेशानुसार कानूनन सही नहीं होने से नहीं माना और मे अपने हिस्से की भूमि पर काबिज हो मेरे ही उपयोग उपभोग में है इसलिए चादी का उक्त मेरे हिस्से की भूमि में किसी प्रकार का कोई हक हिस्सा व अधिकार नहीं है। वादी ने यह गलत अंकन किया है कि पटवारी हल्का ने उक्त नोट लगाया है वास्तविकता में माननीय तहसीलदार साहब ने कानूनन विधवा पुत्री द्वारा हक त्याग नहीं कर सकने के कारण राज्य सरकार के परिपत्र की पालना में उक्त नोट नामान्तरणकरण संख्या 524 में लगाया है न कि पटवार हल्का ने ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mansukh Ram Damor
Date: 2024.07.31 18:54:48 IST
Reason: SelfAttested

16. वादी ने यह कथन मिथ्या अंकित किया है कि उसे इस बात की जानकारी दिनांक 1—2—11 को हुई वास्तविकता में वादी को उक्त तथ्य की जानकारी

विनाक 4—12—01 को ही थी जब वादी ने उक्त हक त्यागपत्र दिनाक 25—9—01 बाबत मुझप्रतिवादी संख्या एक के हिस्से की भूमि को अपने नाम पर राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने हेतु उक्त हकत्यागपत्र प्रशासन गांवों के संग अभियान में तहसीलदार साहब मावली के समक्ष प्रस्तुत किया ओर तहसीलदार साहब मावली ने नियमानुसार नामान्तरणकरण संख्या 524 द्वारा मेरी बहन भंवरकुंवर के हिस्से की भूमि को तो वादी के नाम पर अंकन करने हेतु स्वीकृति दे दी परन्तु मुझ प्रतिवादी संख्या एक के हिस्से की भूमि का हकत्यागपत्र नियमानुसार नही होने से मेरे हिस्से की भूमि का अंकन वादी के नाम पर नही करने की जानकारी वादी को स्पष्ट रूप से दी एवं नामान्तरणकरण संख्या 524 दिंनाक 5—12—01 में इस तथ्य का अंकन किया गया है एवं इसकी नकल वादी को दे दी गयी, इस प्रकार वादी को संम्पूर्ण जानकारी थी और वादी का उक्त वाद बैरून म्यांद होकर काबिल खारिज के है। वाद की कलम संख्या एक में वर्णित भूमियों में स्व० सवसिहजी के हिस्से की भूमियों में मुझ प्रतिवादी संख्या एक की माताजी एजन कुंवर का भी हिस्सा है और वादी ने एजन कुंवर को भी पक्षकार नहीं बनाया है जिससे भी यह वाद काबिल खारिज के है। मुझ प्रतिवादी संख्या एक ने अपने अधिकार अधिपत्य कब्जे एवं खातेदारी की कृषि भूमि होने से अपने हिस्से की भूमि में से प्रतिवादी संख्या दो को दो बीघा भूमि विक्रय कर कब्जा सिपुर्द किया जिस पर वर्तमान में प्रतिवादी संख्या दो काबिज हो उपयोग उपभोग कर रहा है। मुझ प्रतिवादी संख्या एक के खातेदारी व कब्जे की भूमि पर वादी का न तो पूर्व में कब्जा था और न ही वर्तमान में कब्जा है। वादी मात्र येनकेन प्रकारेण मुझ प्रतिवादी संख्या एक के हिस्से की भूमि को जबरन हड़पना चाहता है जिसका इसको कोई विधिक अधिकार नही है। में प्रतिवादी संख्या एक अपने हिस्से की संम्पूर्ण हिस्सा भूमि पर काबिज हूं और मेरे ही कब्जे काश्त में है और मेरी आजीविका का भी यही भूमि एकमात्र सहारा है और मुझ प्रतिवादी संख्या एक को अपने हिस्से व कब्जे की भूमि को विक्रय करने का पूर्ण रूप से अधिकार है। और मुझ प्रतिवादी संख्या दो ने प्रतिवादी संख्या एक के अधिकार अधिपत्य व कब्जे की एवं खातेदारी की भूमि मे से दो बीघा भूमि को जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र कय कर कब्जा प्राप्त किया और मेरे ही कब्जे उपभोग में है। वादी का [illegible] प्रतिवादीसंख्या दो की खरीदसुदा भूमि में किसी प्रकार का कोई हक हिस्सा [illegible] अधिकार नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mansukh Ram Damor
Date: 2024.07.31 18:54:48 IST
Reason: SelfAttested

17. वादी का मुझ प्रतिवादी संख्या एक के हिस्से की भूमि में एवं मुझ प्रतिवादी संख्यादो की खरीदसुदा व कब्जेसुदा भूमि में किसी प्रकार का कोई हक हिस्सा व अधिकार नहीं है न ही इसके कब्जे उपभोग में है। में प्रतिवादी संख्या एक अपने हिस्से की भूमि पर काबिज हूँ और मेने अपने हिस्से व कब्जे की भूमि में से ही प्रतिवादी संख्या दो से प्रतिफल प्राप्त कर दो बीघा जमीन विक्रय कर कब्जा सिपुर्द किया था और मुझ प्रतिवादी संख्या दो ने भी प्रतिवादी संख्या एक के खातेदारी एवं कब्जेसुदा की भूमि में से दो बीघा भूमि को जरिए रजिस्टर्स विकय पत्र कय कर कब्जा प्राप्त किया और मेरे ही कब्जे उपयोग उपभोग में है जिससे प्रतिवादी का उक्त कलम में यह कथन करना कि बैनाम बिना प्रतिफल प्राप्त किये व बिना कब्जा प्राप्त किये विकय पत्र निष्पादित करवा पंजीयन करवाया सरासर गलत व मिथ्या है और यदि वादी उक्त विक्रय पत्र को अवैध्य व अपने मुकाबला में शुन्य व बेअसर मानता है तो उसे उक्त विक्रय पत्र को सक्षम न्यायालय से निरस्त करवाने की कार्यवाही करवानी चाहिए थी उक्त माननीय रेवेन्यु न्यायालय को विक्रय पत्र निरस्त करने का अधिकार प्राप्त नहीं है।

18. हम प्रतिवादी संख्या एक व दो अपने अपने हिस्से व कब्जे की भूमि पर काबिज हो अपने अपने हिस्से की भूमि का उपयोग उपभोग कर रहे है जिसमे वादी का कोई हक हिस्सा व अधिकार नहीं है इसलिए वादी उक्त हमारे हिस्से व कब्जे की भूमि को अपने नाम पर घोषित करवाने का अधिकारी नही है न ही हमारे विरूद्ध किसी प्रकार की स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने का अधिकारी है। और कानूनन भी वादी मुझ प्रतिवादी संख्या एक की खातेदारी की भूमि को अपने नाम पर घोषित करवा सकता है। वादी ने उक्त कलम में सभी तथ्य गलत अंकित किये है।

19. वादी को दिनाक 21–1–11 या 1–2–11 को कोई वाद कारण हम प्रतिवादीगण के विरूद्ध पैदा नहीं होता है। वादी को संम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी पूर्व में ही थी। वादी का वाद बैरून म्याद होकर काबिल खारिज के है।

20. वादी ने वाद का मूल्याकंन कम अंकित किया है उक्त मुझ प्रतिकदी संख्या एक के हिस्से की भूमि का मूल्य लाखो रूपयो का है। दाद प्राप्त करने के अधिकारी है इसलिए वादी द्वारा पैश किया गया वाद मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mansukh Ram Damor
Date: 2024.07.31 18:54:48 IST
Reason: SelfAttested

एवं विशेष खर्चा 10,000/— दस हजार रूपया हम प्रतिवादीगण को दिलाया जावे।

21. प्रकरण में न्याय निर्णयन हेतु निम्न तनकीयात कायम की गई :—

1. आया मौजा वांगरोदा पटवार मण्डल भीमल की आराजियात जो कि परिशिष्ठ ख से ज में वर्णित है उसमें प्रतिवादी संख्या—1 के बजाय वादी को 1/8 हिस्से का, परिशिष्ठ क की भूमि का 9/472 हिस्से का एवम परिशिष्ठ छ में से वर्णित भूमि के 3/64 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित कराने का अधिकारी हैं।

.............वादी

2. आया तनकी संख्या—1 में वर्णित आराजियात वादी एवम प्रतिवादी संख्या 1. 2 की संयुक्त परिवार की आराजियात पैतृक सम्पति है जो वादी के पिता के वक्त से चली आ रही है।

.............वादी

3. आया वादी के पिता सवसिंह ने उनके जीवनकाल में उनकी बेटियों प्रतिवादी संख्या—1 तथा भंवरकुँवर की शादिया करा दी तब से ही वे अपने ससुराल में आबाद होकर ससुराल की सम्पति पर काबीज है जिसके कारण श्री सवसिंह का निधन होने के पश्चात प्रति.सं. 1 तथा भेंवरकुँवर ने अपना हिस्सा वादी के पक्ष में जरिये रजिस्टर्ड हक त्याग दिनांक 25.09.01 को कर दिया जिससे वादी का 3/4 हिस्सा एवम प्रतिवादी संख्या—2 का 1/4 हक हिस्सा रहा ।

.............वादी

4. आया वादग्रस्त परिशिष्ठ ख की भूमि में से 2 बीघा भूमि दिनांक 21.01.11 को जरिये विकय पत्र प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रतिवादी संख्या—2 को विक्रय किया जिसका प्रति. संख्या—1 को कोई हक अधिकार नहीं है ।

....................वादी

5. आया वादी द्वारा स्वर्गीय सवसिंह जी की पत्नी ऐजनकुँवर को पक्षकार नहीं बनाया गया है ईसलिये वाद वादी काबिल खारीज के है।

.............प्रतिवादी सं. 1

6. आया राज्य सरकार के परि[illegible]क 5 (16) राजस्थान 6/92/6 जयपुर दिनांक 04.05.2000 के अ[illegible]ार विधवा पुत्रियों द्वारा हक त्याग

Signature Not Verified
Digitally signed by Mansukh Ram Damor
Date: 2024.07.31 18:54:48 IST
Reason: SelfAttested

नहीं कर सकती इस कारण वादी उसका कोई हक हिस्सा अपने नाम नहीं करा सकता है ।

...........प्रतिवादी सं. 1

7. आया प्रतिवादी संख्या–2 ने 2 बीघा भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से खरीद की तब से ही वह काबिज होकर काश्त कर रही है।

...............प्रतिवादी सं. 2

8. अनुतोष।

22. प्रतिवादी सं. 1, 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। प्रकरण में साक्ष्य वादी प्रारम्भ की गई।

23. अधिवक्ता वादी द्वारा साक्ष्य वादी शपथ पत्र पीडब्ल्यू 1 श्री नाथुसिंह, पीडब्ल्यू 2 श्री तुलसीदास के पेश किये। वादी द्वारा दस्तावेज के रूप में नकल जमाबन्दी प्रदर्श 1 से 7, नामान्तरकरण नकल प्रदर्श 8, हक त्याग पत्र दिनांक 25.09.2001 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श 9ए, विक्रय पत्र दिनांक 21.01.2011 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श 10, न्यायालय हाजा के प्रकरण संख्या 27/11 प्रा.प. नाथुसिंह बनाम सोहनकुंवर के निर्णय दिनांक 30.11.2011 की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श 11, राजस्थान सरकार राजस्व ग्रुप–6 विभाग द्वारा जारी परिपत्र प.5(16) राज–6/92/6 जयपुर दिनांक 04.05.2000 की प्रति प्रदर्श 12 पेश किये। प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गई।

24. प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता वादी द्वारा अपनी बहस में वाद में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा वादी का वाद स्वीकार किया जाने का निवेदन किया।

25. हमने विद्वान अधिवक्ता वादीगण की एकपक्षीय बहस पर बगौर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि ग्राम वांगरोदा पटवार हल्का भीमल तह. मावली की नमल जमाबन्दी सम्वत् 2064–67 के खाता सं. 107 पर दर्ज आराजी नम्बर 560 रकबा 23 बीघा 12 बिस्वा भूमि खातेदार नाथुसिंह, सोहनकुंवर पिता सवसिंह, एजनकुंवर बेवा सवसिंह 9/118 राजपूत एवं शेष हिस्सा अन्य सहखातेदार के नाम दर्ज हैं। खाता सं. 108 पर दर्ज आराजी नम्बर 1002 रकबा 28 बीघा 4 बिस्वा भूमि नाथुसिंह, सोहनकुंवर पि[illegible]ह, एजनकुंवर बेवा सवसिंह 1/2 हिस्सा एवं शेष हिस्सा [illegible] सहखातेदा[illegible] नाम दर्ज हैं। खाता सं. 109 पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Mansukh Ram Damor
Date: 2024.07.31 18:54:48 IST
Reason: SelfAttested

दर्ज आराजी नम्बर 531 से 535, 558, 559, 561, 562, 563 किता 10 रकबा 18 बीघा 11 बिस्वा भूमि नाथुसिंह, सोहनकुंवर पिता सवसिंह, एजनकुंवर बेवा सवसिंह 1/2 हिस्सा एवं शेष हिस्सा अन्य सहखातेदार के नाम दर्ज हैं। खाता संख्या 110 पर दर्ज आराजी नम्बर 990 रकबा 8 बीघा 15 बिस्वा भूमि नाथुसिंह, सोहनकुंवर पिता सवसिंह, एजनकुंवर बेवा सवसिंह 1/2 हिस्सा एवं शेष हिस्सा अन्य सहखातेदार के नाम दर्ज हैं। खाता सं. 111 पर दर्ज आराजी नम्बर 1015 से 1023, 1037 किता 10 रकबा 16 बीघा 15 बिस्वा भूमि नाथुसिंह, सोहनकुंवर पिता सवसिंह, एजनकुंवर बेवा सवसिंह 1/2 हिस्सा एवं शेष हिस्सा अन्य सहखातेदार के नाम दर्ज हैं। खाता सं. 112 पर दर्ज आराजी नम्बर 1024 रकबा 6 बिस्वा भूमि नाथुसिंह, सोहनकुंवर पिता सवसिंह, एजनकुंवर बेवा सवसिंह 3/16 हिस्सा एवं शेष हिस्सा अन्य सहखातेदार के नाम दर्ज हैं। खाता सं. 113 पर दर्ज आराजी नम्बर 940, 941 किता 2 रकबा 11 बीघा 1 बिस्वा भूमि नाथुसिंह, सोहनकुंवर पिता सवसिंह, एजनकुंवर बेवा सवसिंह 1/2 हिस्सा एवं शेष अन्य सहखातेदार के नाम दर्ज हैं। नाथुसिंह, सोहनकुंवर पिता सवसिंह, एजनकुंवर बेवा सवसिंह के नाम दर्ज उक्त वादग्रस्त भूमि पूर्व में इनके पिता सवसिंह के नाम दर्ज थी जो विरासत के नामान्तरकरण सं. 524 दिनांक 05.12.2001 तथा हक त्याग पत्र दिनांक 25.09.2001 से इनके नाम दर्ज हुई। हक त्याग पत्र दिनांक 25.09.2001 सवसिंह की पुत्रियां सोहनकुंवर व भंवरकुंवर द्वारा अपने भाई नाथुसिंह के पक्ष में किया गया था। हक त्याग पत्र में स्पष्ट अंकित किया गया है कि हमारे पिता सवसिंह बाघसिंह जी राजपूत निवासी वांगरोदा के नाम रेवेन्यु रेकार्ड में भूमि अंकित है। इस भूमि के अन्दर से हम पक्षकार हक त्याग कर्ता कोई हक व हिस्सा नहीं लेना चाहती हैं हम अपनी स्वेच्छा से बिना कोई प्रतिफल राशि लिए उक्त भूमि का हक व हिस्से का हकत्याग हमारे सगे भाई द्वितीय पक्षकार के पक्ष में कर देती हैं। हमारे पिता की विरासत में उत्तराधिकारी एकमात्र हमारे भाई श्री नाथुसिंह जी पिता सवसिंह जी राजपूत निवासी वांगरोदा है इनके नाम पर उक्त भूमि का विरासत का नामान्तरकरण खोल दिया जावे जिसमें हमको किसी प्रकार की आपत्ति एवं एतराज नहीं है न ही भविष्य में किसी प्रकार का एतराज ही करेंगी। इससे स्पष्ट है कि प्रतिवादी सं. 1 द्वारा रजिस्टर्ड हक त्याग पत्र से भूमि अपने भाई को दे चुकी थी परन्तु तहसीलदार द्वारा नामान्तरकरण में यह अंकित करते हुए

Signature Not Verified
Digitally signed by Mansukh Ram
Damor
Date: 2024.07.31 18:54:48 IST
Reason: SelfAttested

कि विधवा पुत्री हक त्याग नहीं कर सकती व सोहनकुंवर विधवा होने से उसका नाम नहीं हटाया गया। आंशिक नामान्तरकरण पारित किया गया। इस प्रकार तहसीलदार द्वारा सोहनकुंवर के हिस्सा भूमि के हकत्याग पत्र को नामान्तरकरण में शामिल नहीं किया गया जबकि वादी रजिस्टर्ड हक त्याग पत्र होते ही अपने दोनों बहनो के हक हिस्सा भूमि में भी खातेदार हो चुका था। तहसीलदार द्वारा नामान्तरकरण में उल्लेख किये गये परिपत्र में केवल दिनांक 08.09.1993 को जारी परिपत्र को केवल मात्र विड्रो किया गया हैं। दिनांक 08.09.1993 के परिपत्र में विधवा शब्द कहीं अंकित नहीं हैं। तहसीलदार द्वारा रजिस्टर्ड हक त्याग पत्र को नहीं माना गया है जो न्यायोचित नहीं हैं। तहसीलदार को रजिस्टर्ड हक त्याग पत्र अनुसार नामान्तरकरण पारित करना चाहिए था।

26. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार कर डिक्री जारी किया जाता है कि ग्राम वांगरोदा पटवार हल्का भीमल तह. मावली की नमल जमाबन्दी सम्वत् 2064—67 के खाता सं. 107 पर दर्ज आराजी नम्बर 560 रकबा 23 बीघा 12 बिस्वा भूमि खातेदार नाथुसिंह, सोहनकुंवर पिता सवसिंह, एजनकुंवर बेवा सवसिंह राजपूत के नाम 9/118 हिस्से से दर्ज हैं, के बजाय वादी को 27/472 एवं खातेदार एजनकुंवर बेवा सवसिंह राजपूत को 9/472 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं शेष खाता बदस्तुर रहेगा।

इसी प्रकार खाता सं. 108 पर दर्ज आराजी नम्बर 1002 रकबा 28 बीघा 4 बिस्वा भूमि नाथुसिंह, सोहनकुंवर पिता सवसिंह, एजनकुंवर बेवा सवसिंह राजपूत के नाम 1/2 हिस्से से दर्ज हैं के बजाय वादी को 3/8 एवं खातेदार एजनकुंवर बेवा सवसिंह राजपूत को 1/8 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं शेष खाता बदस्तुर रहेगा।

इसी प्रकार खाता सं. 109 पर दर्ज आराजी नम्बर 531 से 535, 558, 559, 561, 562, 563 किता 10 रकबा 18 बीघा [illegible] बि. भूमि नाथुसिंह, सोहनकुंवर पिता सवसिंह, एजनकुंवर बेवा सवसिंह [illegible] 1/2 हिस्से से दर्ज हैं के

Signature Not Verified
Digitally signed by Mansukh Ram Damor
Date: 2024.07.31 18:54:48 IST
Reason: SelfAttested

बजाय वादी को 3/8 एवं खातेदार एजनकुंवर बेवा सवसिंह राजपूत को 1/8 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं शेष खाता बदस्तुर रहेगा।

इसी प्रकार खाता संख्या 110 पर दर्ज आराजी नम्बर 990 रकबा 8 बीघा 15 बिस्वा भूमि नाथुसिंह, सोहनकुंवर पिता सवसिंह, एजनकुंवर बेवा सवसिंह राजपूत के नाम 1/2 हिस्से से दर्ज हैं के बजाय वादी को 3/8 एवं खातेदार एजनकुंवर बेवा सवसिंह राजपूत को 1/8 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं शेष खाता बदस्तुर रहेगा।

इसी प्रकार खाता सं. 111 पर दर्ज आराजी नम्बर 1015 से 1023, 1037 किता 10 रकबा 16 बीघा 15 बिस्वा भूमि नाथुसिंह, सोहनकुंवर पिता सवसिंह, एजनकुंवर बेवा सवसिंह राजपूत के नाम 1/2 हिस्से से दर्ज हैं के बजाय वादी को 3/8 एवं खातेदार एजनकुंवर बेवा सवसिंह राजपूत को 1/8 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं शेष खाता बदस्तुर रहेगा।

इसी प्रकार खाता सं. 112 पर दर्ज आराजी नम्बर 1024 रकबा 6 बिस्वा भूमि नाथुसिंह, सोहनकुंवर पिता सवसिंह, एजनकुंवर बेवा सवसिंह राजपूत के नाम 3/16 हिस्से से दर्ज है के बजय वादी को 9/64 एवं खातेदार एजनकुंवर बेवा सवसिंह राजपूत को 3/64 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है शेष खाता बदस्तुर रहेगा।

इसी प्रकार खाता सं. 113 पर दर्ज आराजी नम्बर 940, 941 किता 2 रकबा 11 बीघा 1 बिस्वा भूमि नाथुसिंह, सोहनकुंवर पिता सवसिंह, एजनकुंवर बेवा सवसिंह राजपूत के नाम 1/2 हिस्से से दर्ज हैं के बजाय वादी को 3/8 एवं खातेदार एजनकुंवर बेवा सवसिंह राजपूत को 1/8 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं शेष खाता बदस्तुर रहेगा।

डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो।

पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनांक 25.07.2024 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(मनसुख राम डामोर)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Mansukh Ram Damor
Date: 2024.07.31 13:54:48 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मावली

बईजलास मनसुख राम डामोर, आर.ए.एस.

उनवान्

1. श्री नाथूसिंह पिता सवसिंह राजपूत निवासी वांगरोदा तह. मावली।

.....वादी

बनाम्

1. श्रीमती सोहनकुंवर पुत्री सवसिंह पत्नी हरिसिंह राजपूत निवासी घणोली तह. मावली।
2. श्री केसरसिंह पिता इन्द्रसिंह राजपूत निवासी जगपुरा तह. कोटडी जिला भीलवाडा।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार/उप पंजीयक मावली तह. मावली।
4. पटवारी, पटवार हल्का भीमल तह. मावली।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राज.काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 30/11 (वाद) GCMS No. – 2011/00180

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु मनसुख राम डामोर, R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि:–

वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार कर डिक्री जारी किया जाता है कि ग्राम वांगरोदा पटवार हल्का भीमल तह. मावली की नमल जमाबन्दी सम्वत् 2064–67 के खाता सं. 107 पर दर्ज आराजी नम्बर 560 रकबा 23 बीघा 12 बिस्वा भूमि खातेदार नाथुसिंह, सोहनकुंवर पिता सवसिंह, एजनकुंवर बेवा सवसिंह राजपूत के नाम 9/118 हिस्से से दर्ज हैं, के बजाय वादी को 27/472 एवं खातेदार एजनकुंवर बेवा सवसिंह राजपूत को 9/472 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं शेष खाता बदस्तुर रहेगा।

इसी प्रकार खाता सं. 108 पर दर्ज आराजी नम्बर 1002 रकबा 28 बीघा 4 बिस्वा भूमि नाथुसिंह, सोहनकुंवर पिता सवसिंह, एजनकुंवर बेवा सवसिंह राजपूत के नाम 1/2 हिस्से से दर्ज हैं के बजाय वादी को 3/8 एवं खातेदार एजनकुंवर बेवा सवसिंह राजपूत को 1/8 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं शेष खाता बदस्तुर रहेगा।

इसी प्रकार खाता सं. 109 पर दर्ज आराजी नम्बर 531 से 535, 558, 559, 561, 562, 563 किता 10 रकबा 18 बीघा 11 बिस्वा भूमि नाथुसिंह, सोहनकुंवर पिता

Signature Not Verified
Digitally signed by Mansukh Ram Damor
Date: 2024.07.31 18:54:48 IST
Reason: SelfAttested

सवसिंह, एजनकुंवर बेवा सवसिंह राजपूत के नाम 1/2 हिस्से से दर्ज हैं के बजाय वादी को 3/8 एवं खातेदार एजनकुंवर बेवा सवसिंह राजपूत को 1/8 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं शेष खाता बदस्तुर रहेगा।

इसी प्रकार खाता संख्या 110 पर दर्ज आराजी नम्बर 990 रकबा 8 बीघा 15 बिस्वा भूमि नाथुसिंह, सोहनकुंवर पिता सवसिंह, एजनकुंवर बेवा सवसिंह राजपूत के नाम 1/2 हिस्से से दर्ज हैं के बजाय वादी को 3/8 एवं खातेदार एजनकुंवर बेवा सवसिंह राजपूत को 1/8 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं शेष खाता बदस्तुर रहेगा।

इसी प्रकार खाता सं. 111 पर दर्ज आराजी नम्बर 1015 से 1023, 1037 किता 10 रकबा 16 बीघा 15 बिस्वा भूमि नाथुसिंह, सोहनकुंवर पिता सवसिंह, एजनकुंवर बेवा सवसिंह राजपूत के नाम 1/2 हिस्से से दर्ज हैं के बजाय वादी को 3/8 एवं खातेदार एजनकुंवर बेवा सवसिंह राजपूत को 1/8 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं शेष खाता बदस्तुर रहेगा।

इसी प्रकार खाता सं. 112 पर दर्ज आराजी नम्बर 1024 रकबा 6 बिस्वा भूमि नाथुसिंह, सोहनकुंवर पिता सवसिंह, एजनकुंवर बेवा सवसिंह राजपूत के नाम 3/16 हिस्से से दर्ज है के बजय वादी को 9/64 एवं खातेदार एजनकुंवर बेवा सवसिंह राजपूत को 3/64 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है शेष खाता बदस्तुर रहेगा।

इसी प्रकार खाता सं. 113 पर दर्ज आराजी नम्बर 940, 941 किता 2 रकबा 11 बीघा 1 बिस्वा भूमि नाथुसिंह, सोहनकुंवर पिता सवसिंह, एजनकुंवर बेवा सवसिंह राजपूत के नाम 1/2 हिस्से से दर्ज हैं के बजाय वादी को 3/8 एवं खातेदार एजनकुंवर बेवा सवसिंह राजपूत को 1/8 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं शेष खाता बदस्तुर रहेगा।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 25.07.2024 को जारी की गई।

(मनसुख राम डामोर)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Mansukh Ram Damor
Date: 2024.07.31 13:54:48 IST
Reason: SelfAttested